जाँच प्रतिवेदन–3

श्री दीनदयाल तिवारी एवं श्री सीता चौधरी, एस0क्यू0एम0 द्वारा मो0 सलाउद्दीन से प्राप्त प्रतिवाद के संबंध जाँच प्रतिवेदन।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास विभाग, पटना का पत्रांक–322593 दिनांक–21.08.2017

महाशय,

प्रसंगाधीन परिवाद के संबंध में दिनांक–22.09.2017 को मो0 सलाउद्दीन एवं अभिषेक आनन्द, कार्यक्रम पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर–सह–सलखुआ प्रखण्ड के बीच हुए विवाद के संबंध में उप विकास आयुक्त, सहरसा के बेश्म जाँच करने निर्धारित समय पर पहुँचा। उभय पक्ष उपस्थित थे।

कार्यक्रम पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा बताया गया कि मो0 सलाउद्दीन के साथ मैंने कोई मारपीट नहीं किया है। मो0 सलाउद्दीन, निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के कक्ष में आर0टी0आई0 से संबंधित परिवाद के संबंध में जानकारी ले रहे थे, इसी बीच मैं निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के कक्ष में पहुँचा तो मो0 सलाउद्दीन मुझे देखकर जोर–जोर से बोलने लगा और मुझसे उलझ गया। मैंने उसे काफी समझाना चाहा, पर वह झगड़ा करने पर उतारु हो गया। मैंने निदेशक साहब के कहने पर उन्हें कक्ष से बाहर जाने को कहा। इसी बीच वो हमसे हाथापाई करने लगा। इसी क्रम में वो कार्यालय में कुर्सी पर गिर भी गया। मैंने और कार्यालय में उपस्थित लोगों उसे उठाकर बाहर किया। परन्तु उसके साथ मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं किया गया।

दूसरे दिन श्री सलाउद्दीन मेरे कार्यालय में आया और अपनी गलती के बारे में मुझसे क्षमा मांगने लगा। मुझे भी

अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने भी उससे खेद प्रकट किया। हम दोनों ने आपसी सहमति से एक सादे कागज पर लिखित सुलहनामा बना दिया जो समय पर काम आवे।

तत्कालीन निदेशक, डी0आर0डी0ए0, श्री रंजीत कुमार द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि मो0 सलाउद्दीन आर0टी0आई0 से संबंधित पत्र के संबंध में जानकारी लेने आये थे। मैंने उसी समय उसको मामले के संबंध में विस्तार से बता दिया था। मारपीट के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

मो0 सलाउद्दीन से यदि इस संबंध में पूछताछ किया तो वे पेशाव करने का बहाना बनाकर बाहर चला गया और फिर नहीं आया। काफी समय इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आया और जाँच कार्य में सहयोग नहीं किया।

उप विकास आयुक्त, सहरसा से जब इस संबंध में जानकारी चाही तो उनके द्वारा बताया गया कि मो0 सलाउद्दीन नाम का एक यही लड़का है, जिसे मैं आज देख रहा हूँ। परन्तु यह काफी विवादित है और आये दिन पदाधिकारियों एवं कार्यालय कर्मचारियों से कार्यालय में आकर विवाद करते रहता है। साथ ही निरुदेश कार्यालय में घुमते रहता है और पर्टिशनबाजी करते रहता है।

वर्तमान निदेशक से भी इस संबंध में जानकारी चाही तो उनके द्वारा बताया गया कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, परन्तु यदा-कदा इस मो0 सलाउद्दीन को कार्यालय में घुमते देखता हूँ।

मो0 सलाउद्दीन की एक आपत्ति परिवाद में यह भी है कि अभिषेक आनन्द को सलखुआ प्रखण्ड के कार्यक्रम पदाधिकारी का भी प्रभार मिला हुआ है। वे यदा-कदा कार्यालय में आते हैं और डेरे से बैठकर ही सारे कार्यों का निपटारा करते हैं। सलखुआ प्रखण्ड का प्रभार उप विकास आयुक्त और जिला

पदाधिकारी के आपसी सहमति से मिला है। उसमें जाँच दल को कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक डेरा से बैठकर कार्यालय कार्य का निष्पादन करने का प्रश्न है। इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मैं नियमित रुप से कार्यालय आता-जाता हूँ और कार्यालय में ही बैठकर कार्यों का निष्पादन करता हूँ। जब वरीय पदाधिकारी द्वारा बैठक एवं अन्य कार्य हेतु बुलाया जाता है, तभी मैं कार्यालय आता हूँ।

काफी समय इंतजार करने के बाद जब मो० सलाउद्दीन जाँच दल के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तब संध्या 6:00 बजे हमलोग उप विकास आयुक्त कार्यालय से बाहर आ गये और कोसी निवास में चले गये। आने के क्रम में मो० सलाउद्दीन का दूरभाष प्राप्त हुआ कि मुझे पत्रकार लोग घेर लिया था, जिस कारण मैं जाँच में उपस्थित नहीं हो सका।

सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०- 2 ...

(दीनदयाल तिवारी)
SQM

विश्वासभाजन

9.10.17
(सीता चौधरी)
SQM

आज दिनांक 22.09.2017 को भवदीय से प्राप्त पत्रांक 322593, दिनांक 21.08.2017 के आलोक में उप विकास आयुक्त, सहरसा/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा के कार्यालय वेश्म में आरोप कर्त्ता मो0 सलाउद्दीन, तत्कालीन निदेशक, डी0आर0डी0ए0, सहरसा एवं श्री अभिषेक आनन्द, कार्यक्रम पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के बीच हुए विवाद के संबंध में जाँच करने पहुँचा। आपत्तिकर्त्ता मो0 सलाउद्दीन जाँच के समय कार्यालय वेश्म में उपस्थित हैं।

मैने श्री अभिषेक आनन्द, कार्यक्रम पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर से भी इस संबंध में जानकारी लिया। उनके द्वारा बताया गया कि मैंने मारपीट नहीं किया है। वे तैश में आकर कुछ बोलने लगे तथा इसी क्रम में हाथापाई हुई। इस संबंध में मो0 सलाउद्दीन द्वारा सुलहनामा भी बाद में दिया गया है, जिसकी प्रति कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जाँच के समय उपलब्ध कराया गया है। सुलहनामा की प्रति जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। जहाँ तक उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मैं अपने आवास पर बैठ कर कार्य करता हूँ, सरासर गलत है। मैं प्रतिदिन कार्यालय जाता हूँ, योजनाओं का निरीक्षण करता हूँ एवं दिभागीय कार्यों का निष्पादन भी करता हूँ। जहाँ तक सलखुआ प्रखंड में प्रभार की बात है, तो जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मेरे कार्यों को देखते हुए एवं जिला में कार्यक्रम पदाधिकारियों की संख्या को दृष्टिपथ पर रखते हुए मुझे सलखुआ, प्रखंड का प्रभार दिया गया है। वस्तुतः सिमरी बख्तियारपुर और सलखुआ दोनों प्रखंड आस–पास हैं, इसी कारण से कार्यहित में मुझे प्रभार दिया गया हैं।

तत्कालीन निदेशक, डी0आर0डी0ए0, सहरसा श्री रंजीत कुमार नें भी इस संबंध में दूरभाष पर बताया कि RTI से संबंधित प्रतिवेदन की माँग मो0 सलाउद्दीन के द्वारा की गयी थी। मेरे द्वारा उसी क्षण उन्हें संबंधित मामले/प्रतिवेदन के संबंध में विस्तार से बता दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि उनके द्वारा मेरे विरूद्ध आवेदन दिया गया है। जहाँ तक मारपीट होने का संबंध है, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

Abhishek Anand
22-09-17
कार्यक्रम पदा० सिमरी बख्तियारपुर
सह सलखुआ

सुलहनामा।

आज दिनांक :- 13-06-17 को मैं मो० सलाउद्दीन पिता मो० उस्मान सा०- सपहीगाही थाना व जिला सहरसा के निवासी हूँ। आज मैं एवं अभिषेक आनन्द पिता श्री शिवेश्वरी प्रसाद यादव सा०- गौतम नगर वार्ड नं०-12 थाना व जिला सहरसा से आपसी वाद विवाद एवं धक्का मुक्की हो गया था जिससे हम दोनो को हल्का चोट भी आयी थी जिसको लेकर हम दोनो के द्वारा श्रीमान के पास आवेदन लोगो के बहकावा मे आकर दे दिये थे। गाँव के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा पंचायत कर के हम दोनो का सुलहनामा कर दिया गया है। अब हम दोनो मे किसी प्रकार का कोई शिकायत नही है। श्रीमान से निवेदन है कि मेरे द्वारा एवं अभिषेक आनन्द के द्वारा दिये गये आवेदन को निरस्त करते हुए हम दोनो के सुलहनामा पत्र को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

मो०सलाउद्दीन
9470913[illegible]

अभिषेक आनन्द
9430696718

ग्रामीण का हस्ताक्षर

(1) शिवेश्वरी प्र० यादव
सा० - गौतम नगर वार्ड - 2
सहरसा

(2) [illegible signature]
[illegible]

(3) मो० नूर आलम
ग्राम + पो० [illegible]

(4) [illegible signature]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(5) राजीव रंजन
ग्राम - रधैरा
पो० - मठिमा
थाना - सौरबाजार

(6) वीरेन्द्र पाण्डेय
पटुआहा - सहरसा

[illegible] No-550/17
13/6/17